सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **114/2021** दायर दिनॉंक **29.06.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रसीद खान पुत्र नजीर खान जाति पठान निवासी छापरी गेट के बाहर, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी

दिनॉंक **06.07.2021**

–:: <u>निर्णय</u> ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के दादा कलु खां की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 688 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद मण्डाबासनी में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादी के दादा कलु खां के नाम दर्ज है। जिसमें वादी का हक हिस्सा भी निहित है। यह है कि वादी पीढ़ियों से डीडवाना में निवास कर रहा है तथा वादी व उसके पूर्वज कृषि कार्य करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है।

यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बर के राजस्व रेकर्ड में वादी के दादा कलु खां की जाति (कौम) कायमखानी राजस्व अधिकारियों की भुलवंश गलत अंकित हो गई है। जबकि वादी व वादी के दादा की जाति (कौम) पठान है। यह है कि वर्तमान में वादी के सभी दस्तावेज में वादी की जाति पठान दर्ज की हुई है। वादी के जाति प्रमाण–पत्र, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में वादी की जाति पठान दर्ज है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत जाति कायमखानी अंकित है।

यह हैं कि वादी के दादा कलु खां की मृत्यु हो [illegible] है तथा पिता नजीर खां की भी मृत्यु हो चुकी है। [illegible] की जाति पठान के स्थान पर कायमखानी [illegible] विधिक वारिसान का नाम भी अमल दर[illegible] जिससे वादी को भारी क्षति हो रहा है। यह है कि वर्तमान में ख[illegible]री में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के दादा की जाति (कौम) के गलत इन्द्राज होने के कारण वादी का नाम उपरोक्त खसरा नम्बर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हो सका। इस कारण प्रार्थी को सरकारी योजना का लाभ व ऋण आदि प्राप्त करने में भारी दिक्कत का सामना पड़ रहा है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

(क) यह है कि वादी के दादा कलु खां की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 688 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा वाकै सरहद मण्डाबासनी अवस्थित है। जिसमें वादी के दादा की जाति कायमखानी के स्थान पर पठान दर्ज किये जाने का आदेश सादर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य वादी में वादी मुंशी खान व अन्य गवाह रसीद खां के शपथ पत्र पेश हुए।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। जाति प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के अनुसार वादी की जाति कायमखानी से पठान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद मुण्डाबावनी के खसरा सं0 688 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा में वादी की जाति कायमखानी के स्थान पर पठान दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **06.07.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **114/2021** दायर दिनाँक **29.06.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रसीद खान पुत्र नजीर खान जाति पठान निवासी छापरी गेट के बाहर, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **06.07.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद मण्डाबासनी के खेत खसरा नम्बर 688 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा में वादी के पिता की जाति कायमखानी के स्थान पर पठान दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.07.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो कि मुकदमे में ... के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner